NHRCCB
MONTHLY ACTIVITY REPORT
FEBRUARY 2024

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

(GOV. REGD.0483/2017 INCORPORATE UNDER THE LEGISLATION OF GOV. OF INDIA, I.T.A 1882)
REGD. UNITED NATION (UNDESA), NITI AAYOG (GOVT. OF INDIA)
REGD. 12A & 80G UNDER INCOME TAX DEPARTMENT (MINISTRY OF FINANCE, GOVT. OF INDIA)
REGD. CSR | UNDER MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVT. OF INDIA) & M.S.M.E (GOVT. OF INDIA
AN ORGANISATION WORKING FOR THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

Web : nhrccb.org, Email : nhrccb@gmail.com

TABLE OF CONTENTS

1. NATIONAL PRESIDENT MESSAGE	3
2. ABOUT NHRCCB	4
3. AIMS &OBJECTIVES OF NHRCCB	5-7
4. OURTEAM STRENGTH	7
5. MONTHLY ACTIVITY REPORT FEBRUARY 2024	8-15

NATIONAL PRESIDENT
NHRCCB

संदेश

मानवाधिकार की रक्षा में मानवाधिकार कार्यकर्ता की भूमिका बेहद ही सराहनीय है । भारत के हजारों सदस्यों के बदौलत मानवाधिकार के क्षेत्र में एन एच आर सी सी बी एक मजबूत पहचान बन चुकी है।हजारों-लाखों वंचितो एवं पीड़ितों की आवाज बन चुकी है ।

संस्था के द्वारा नई पहल कीशुरुवात की गई है जिसमे संस्था के द्वारा संपूर्ण भारत में आयोजित समस्त कार्यक्रम की विवरण एवं अखबारों की खबर को संलग्नकर प्रकाशित की जा रही है ।

आपके समक्ष 2024 फरवरी माह की मासिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी संलग्न की जा रही है।

उम्मीदकरता हूं यह पहल संस्था के समस्त साथियों को नई ऊर्जा देने की कार्य करेगी ।

डॉ रणधीर कुमार

ABOUT NHRCCB

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

National Human Rights and Crime Control Bureau (NHRCCB) is a Non-Profit Organization or Voluntary Organization Incorporated under the Legislation Government of India. Registered in 2017 under Indian Trust Act- 1882 Government of India with Reg. No 483/2017. Registered with NITI AAYOG, Government of India, United Nation Department of Economics and Social Affairs, UnitedNation, 12A & 80G Under Department of Income Tax, Ministry of Finance Government of India and CSR1 Under Ministry Of Corporate Affairs, Government of India.

PROTECTING HUMAN RIGHTS UNDER

- Human Rights Protection Act 1993
- Universal Deceleration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948.
- Protecting Under Human Rights both at individual and Communal Level.
- Protecting Women Rights for curbing the gender inequality across the nation.
- Protection Child Rights and Promoting education for all
- Keeping a check on criminal motivation across the country.
- Helping all the administrative bodies in order to propagate communal harmony.

NHRCCB REGISTARTION AND AFFILATION

- Registered under the Indian Trust Act 1882 Government of India in 2017.
- Regd.Under NITI Aayog Government of India (NGO Darpan)
- Regd.Under Ministry of Women and Child Development, Government of India,
- Regd.Under United Nations (UNDESA).
- Regd.under 12A&80G by Income Tax Department, Ministry of Finance Government of India.
- Regd. Under CSR1 Ministry of Corporate Affairs Government of India.
- Registered by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.

PLEDGE CERTIFICATE FROM

National Human Rights Commission, Government of India.
Central Vigilance Commission, Government of India.
National Commission for Women, Government of India.
National Commission for Protection of Child Rights, Government of India

AIMS & OBJECTIVES OF NHRCCB

(NHRCCB WAS ESTABLISHED ON 07 NOVEMBER 2017 WITH THE FOLLOWING AIMS& OBJECTIVES)

1. According to the Human Rights Protection Act 1993, the Government of India, to work forthe promotion and protection of human rights.
2. Organizing various camps, seminars, workshops, conferences etc. for awareness among Citizens about human rights.
3. To cooperate and encourage non-governmental organizations and educational institutions working in the field of human rights.
4. To build and operate educational institutions in the field of human rights.
5. To work together and in cooperation with the government for the protection of Human Rights and crime control.
6. National Human Rights Commission / State Human Rights Commission / National Commission for Women / State Commission for Women / National Commission for Protection of Child Rights / State Commission for Protection of Child Rights / National Commission for Protection of Child Rights / National Commission for Scheduled Castes /State Scheduled Castes on receipt of complaints on issues like human rights abuses To Provide justice to the victim through the Tribal Commission / Central Government / State Government / District Administration / Police Administration and other constitutional Institutions.
7. To file a petition in the court in human rights violations cases and get justice to the victim Through the court.
8. To work together with the Central Government / State Government and local government - administration for the protection and promotion of human rights.
9. According to the United Nations Human Rights Act 1948, to make citizens aware of human rights and work to protect the rights of citizens.
10. To promote and propagate the fundamental rights (right to equality, right to freedom, Right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education, right to Property and constitutional remedies) given by the Indian

Constitution and every Indian citizen To work for the attainment of fundamental rights.

11. To organize workshops, seminars, awareness programs on crime control.
12. Governance for Corruption Free India – Working together with the administration to Control corruption.
13. To protect the Child Rights Protection Act and work for prevention of child marriage, child violence, child labour, child trafficking.
14. To work for publicity and awareness of Right to Information (RTI) Act.
15. Getting information through RTI and taking action against the corrupt.
16. Fighting the rights of doctors, lawyers, journalists etc. in a constitutional way by creating Various cells / units.
17. To run awareness campaign related to cyber-crime prevention and to cooperate with the administration for prevention.
18. Governance - To help the administration to curb the misuse of government posts and Government machinery.
19. To work for the rights of the prisoners (prisoners) and to provide them legal aid and Guidance.
20. To cooperate with the police administration regarding crime control and mutual harmony, goodwill and peace.
21. Public Grievance Redressal Centre, Crime and Corruption Investigation, Crime Investigation and Research Service, Security and Intelligence Service, Media Information, Education and Law, Civil Defence, Journalism and Journalist Defence, Right to Information,
    Human Rights, Child Rights, Detective Services Setting up and providing security.
22. To promote various schemes run by the government and to benefit the citizens.
23. To cooperate and work together in various programs by the units of the district / state /Centre.
24. To settle the cases by organizing Lok Adalats after permission from time to time.
25. To make women aware of women's rights and work for their participation in the system.
26. To make women aware and work to curb women violence.
27. Governance for women's rights and women's safety - Working together with the Administration.
28. To honor the outstanding talents of the society from time to time and provide them Platforms.
29. Helping the administration by running an awareness campaign for serious issues like Human trafficking.
30. To run an awareness campaign to curb discrimination on the basis of caste, class, Community, race, sex, color.

31. To organize awareness camps on evil practices like dowry bonded labor etc. and work to stop such incidents through the concerned government institutions and courts.
32. Organizing camps like medical camps, blood donation camps, eye camps etc.
33. After receiving the complaint, after the permission of the government institutions, to take the problems of the citizens to the administration and make efforts to solve the problem.
34. Establishment and operation of Old Age Home, Health Centre, Nari Shakti Kendra, Child ImprovementCentre, Hospital. Etc

OUR STRENGTH

50+ NATIONAL TEAM OFFICER

400+ STATE TEAM OFFICER

250+ DIVISION TEAM OFFICER

2000+ DIST TEAM OFFICER

3000+ BLOCK TEAM OFFICER

5000+ ACTIVE MEMBER

10000+ VOLUNTEER

Date 01.02.2024

राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो की बैठक

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर चांपा, 31 जनवरी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो छत्तीसगढ़ टीम की आवश्यक बैठक 30 जनवरी की दोपहर 3 बजे जांजगीर रेस्ट हाउस में आहुत की गई।

बैठक में सदस्यों को बेहतर कार्य करने के साथ सदस्यता नियुक्ति में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए। बैठक में सदस्यों को जनहित सहित अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने को लेकर टिप्स दिए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध

करने के साथ सदस्यता नियुक्ति करने के साथ अनुशंसा एवं प्रमोशन हेतु प्रक्रिया बनाने चर्चा की गई। राज्य सम्मेलन की तैयारी हेतु घोषणा की गई।

बैठक में जतिन्दरपाल प्रदेशाध्यक्ष ,अमोलक सिंह प्रदेश सलाहकार, जितेन्द्र पटेल जिला मीडिया प्रभारी, दिलीप सलाहकार, गुरविन्दर सिंह सदस्य, लाभो कुमार ब्लॉक अध्यक्ष बिलाईगढ़, विजय कुमार यादव ब्लॉक अध्यक्ष नवागढ़, जयकुमार बरिहा सक्रिय सदस्य , श्रवण वैरागी- सदस्य, विष्णु अवतार कश्यप

Date 02.02.2024

We were present as special guest in the anniversary of Government Primary School Sarai Singar (Hardi Bazar) District Korba under the guidance of NHRCCB State President Hon'ble Mr. Jatinder Pal Singh ji and Korba District President Smt. Rakhi Bareth ji. Where we cheered all the little ones and awarded the top 3-3 kids of all class last season with the *NHRRCB Talent Honor* trophy. At the same time, the school principal and assistant teacher were also honored with the souvenir of NHRCCB Teacher Honor.

Mukesh Namdev, District Secretary NHRCCB will do

Date 03.02.2024

मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने भारत सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए डॉ. जतिंदरपाल सिंह

भास्कर दूत

जांजगीर चाम्पा । राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरों के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष डॉ जतिंदरपाल सिंह मानवाधिकार के क्षेत्र मे हमेशा जागरुकता लाने का प्रयास टीम के साथ करते रहते है ।जिस कार्यो से उन्हें गोल्स द्वारा भारत सेवा पुरूस्कार सम्मान दिया गया। डॉ. सिंह ने बताया यह सब हमारे छत्तीसगढ़ टीम के सहयोग से बेहतर होता रहा है और आज इस सम्मान का भी श्रेय टीम को जाता है मैं सदा अपने टीम का आभारी हूं। मानवाधिकार क्षेत्र मे सदा हम जागरुकता लाने का प्रयास करते रहते है इसके लिए कभी सम्मान समारोह के द्वारा कभी शिविर लगाकर कभी जागरुकता प्रचार प्रसार कर और हर तरह से प्रयासरत रहते है। आपको बता दे डॉ. सिंह को पहले भी कई सम्मान प्राप्त हो चुके है जिनमे कुछ सम्मान जिनमे एन एच आर सी बी राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया , भारतीय समाज रत्न अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया सोशल वर्क ऑफ दि ईयर अवार्ड, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, राष्ट्रीय लीडर शिप अवार्ड प्राप्त हुआ इन कार्यो के चलते डाक्टरेट सम्मान से भी सम्मानित हुए। डॉ सिंह इस सम्मान के लिए पहले अपने ब्यूरों राष्ट्रीय मानवाधिकार आपराध नियंत्रण ब्यूरों का धन्यवाद करता हूं जिसके कार्यो के कारण यह मुझे सम्मान प्राप्त हुए और विशेष मैं अपने छत्तीसगढ़ टीम का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हू जिनके सहयोग से यह सब सम्मान प्राप्त हो सका और साथ ही गोल्स का इस सम्मान देने लिए धन्यवाद करता हूं।

Date 04.02.2024

Prof Raja Singh Jhinjar distributes warm clothes and soaps to 750 children, elders and women

KULBHUSHAN SHARMA

GUHLA CHEEKA: Children and elders are the embodiment of God whose best service lies in selfless service, expresses by the city's well-known social worker, Gold Medalist Professor Raja Singh Jhinjar, member of the National Human Rights and Crime Control Bureau, India, while he was distributing warm clothes to the children suffering from cold. He said that every person in the society needed the right to equality and respect. He said that while service to others brought happiness to the mind and immense blessings from God, the feeling of philanthropy got strengthened. Mr Jhinjar said that they should become partners in inspiration and action by doing social service work. He said that while today's child was the future of a happy nation, the elders were the role model and respect of the entire society. Surendra Singla, social worker, said that their history was a great example of cooperation and service to the needy. Singla said that they could give a new direction to the society and nation by being a part of such examples. He said that rights and duties were two sides of a coin and their duties were more important than their rights. Surendra Singla and Raja Jhinjar distributed free warm clothes and bathing soap to about 750 children, elderly and women at Deewana Brick Kiln. Let it be known that Surendra Singla, who has played an excellent role in the field of social service, and Professor Raja Singh Jhinjar, a social worker working in Government Senior Secondary School, Harigarh Kingan, have set an example of public service by distributing warm clothes to 6000 needy people free since the beginning of winter.

Like facebook page/dainik.yashbabu दैनिक यशबाबू, कुरुक्षेत्र (3)

निस्वार्थ सेवा से ही भगवान देता है इच्छित फल : राजा सिंह

गुहला-चीका, यशबाबू समाचार।

बच्चे और बुजुर्ग भगवान का स्वरूप होते हैं जिनकी निस्वार्थ सेवा में ही सर्वोत्तम सेवा छुपी है। यह विचार शहर के जाने-माने समाजसेवी राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत के सदस्य गोल्ड मेडलिस्ट प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने सर्दी झेल रहे बच्चों को गर्म वस्त्र पहनाते हुए कहे। झींजर ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को समानता एवं सम्मान के अधिकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां दूसरों की सेवा से मन को खुशी और परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त होती है वहीं परोपकार की भावना को बल मिलता है। समाजसेवी झींजर ने कहा कि हमें समाज सेवा के कार्य करके प्रेरणा और कर्म का भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां आज का बच्चा खुशहाल राष्ट्र का भविष्य है वहीं बुजुर्ग पूरे समाज का आदर्श और सम्मान होते हैं। शहर के जाने-माने समाजसेवी कहा कि हम ऐसे उदाहरणों का हिस्सा बनकर समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं तथा हमारे अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। सुरेंद्र सिंगला व राजा झींजर ने दीवाना ईंट भट्ठे पर लगभग 750 बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को मुफ्त गर्म कपड़े पहनने को दिए तथा नहाने की साबुन वितरित की। ज्ञात रहे कि समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका रखने वाले सुरेंद्र सिंगला व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जरूरतमंदों को गर्म कपड़े मुफ्त बांट जन सेवा की मिसाल कायम की है। बुजुर्ग धनी राम व नंबरदार राम मेहर काजल ने झींजर व सिंगला की सामाजिक सेवाओं की सहराना करते हुए कहा कि यही वो सच्ची सेवा है जिससे सेवा प्राप्त करने वाला और परमात्मा दोनों प्रसन्न होते हैं। काजल ने कहा कि जरूरतमंद को काबिल बना कर ही समानता का अधिकार दिलाया जा सकता है। इस अवसर पर बूटा सिंह, सतनाम सिंह, जय राम, अमरजीतू, कालिया, राम, मन्नू राम, कपूरी, धनु राम,

कुलभूषण शर्मा, देश रोजाना, गुहला चीका। बच्चे और बुजुर्ग भगवान का स्वरूप होते हैं जिनकी निस्वार्थ सेवा में ही सर्वोत्तम सेवा छुपी है। यह विचार शहर के जाने-माने समाजसेवी राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत के सदस्य गोल्ड मेडलिस्ट प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने सर्दी झेल रहे बच्चों को गर्म वस्त्र पहनाते हुए कहे। झींजर ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को समानता एवं सम्मान के अधिकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां दूसरों की सेवा से मन को खुशी और परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त होती है वहीं परोपकार की भावना को बल मिलता है। समाजसेवी झींजर ने कहा कि हमें समाज सेवा के कार्य करके प्रेरणा और कर्म का भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां आज का बच्चा खुशहाल राष्ट्र का भविष्य है वहीं बुजुर्ग पूरे समाज का आदर्श और सम्मान होते हैं। शहर के जाने-माने समाजसेवी सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि हमारा इतिहास जरूरतमंदों के सहयोग और सेवा भाव का बहुत बड़ा उदाहरण है। सिंगला ने कहा कि हम ऐसे उदाहरणों का हिस्सा बनकर समाज और राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं तथा हमारे अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। सुरेंद्र सिंगला व राजा झींजर ने दीवाना ईंट भट्ठे पर लगभग 750 बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को मुफ्त गर्म कपड़े पहनने को दिए तथा नहाने की साबुन वितरित की। ज्ञात रहे कि समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका रखने वाले सुरेंद्र सिंगला व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में कार्यरत समाजसेवी प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने सर्दी की शुरूआत से अब तक 6000 जरूरतमंदों को गर्म

Date 12.02.2024

जांजगीर चाम्पा जाज्वल्यदेव महोत्सव पर आज प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे ब्यूरों के बैनर तले जानकारी देते और साथ मे ब्यूरों का कैलेंडर दिया गया

Date 12.02.2024

मानवाधिकार संगठन द्वारा नीरज दुबे को बनाया गया संभाग मीडिया अधिकारी

देव केसरी / अरविन्द चन्दन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नीरज दुबे को संभाग स्तरीय मीडिया आफीसर नियुक्त किया गया है। संगठन के नेशनल कोआर्डिनेटर प्रभात मिश्रा ने बताया कि यह नियुक्ति नीरज दुबे के विशिष्ट सामाजिक कार्यों को देखते हुए की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन, न्याय, शिक्षा, प्रेम, शांति, सभी के लिए सद्भाव और मित्रता, विचारों और लोकाचार के आदान-प्रदान द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता के महान उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। संगठन मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत सरकार के कानून के तहत शामिल एक गैर-लाभकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन है। 2017 में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1882 के तहत भारत सरकार रजि. के साथ पंजीकृत है। क्रमांक 483/2017, नीति आयोग, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्र और सामाजिक मामलों के विभाग, संयुक्त राष्ट्र, आयकर विभाग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत 12ए और 80जी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सीएसआर1 के साथ पंजीकृत है। प्रभात मिश्रा ने बताया कि मानवाधिकार सभी मनुष्यों में निहित अधिकार हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं।

ो छछरौली को जोड़ने वाला

ी कच्चा, सरकार मौन

सी भी सरकार ने नहीं ली सुध, लोगों में रोष

के लिए कोई भी रास्ता नहीं है मजबूरन हरियाणा के छछरौली यमुनानगर जाना पड़ता है। पलोडी गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। रास्ता न होने के कारण मरीज को चारपाई पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया जाता हैं। गांव में डिस्पेंसरी है

Date 13.02.2024

Under the guidance of Honorable Provincial President Dr. Jatinder Pal Singh District Food

Officer Chitrakant Dhruv and Assistant District Food Officer Nayak Sir met and gave the calendar of National Human Rights Crime Control Bureau to give detailed information about the team and work in which the District Food Officer of our team. Appreciated while praising

Date 14.02.2024

NHRCCB CG TEAM Under the guidance of State President of National Human Rights and Crime Control Bureau, in the memory of all the brave soldiers who were martyred in Pulwama, today 2 minutes of silence was lit on the memorial of Shaheed Ajay Yadav, the entire family and villagers of Shaheed Ajay Yadav were present. People of Block President Vijay Yadav District General Secretary Lalit Kumar Bareth Valitian Khagesh Shrivas and all the villagers

Date 18.02.2024

मानवाधिकार जागरुकता एवं सोशल गतिविधि मे बेहतर प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड बुक रिकार्ड मे डॉ. जे पी सिंह का नाम हुआ शामिल

भास्कर दूत

जांजगीर चाम्पा । मानव के अधिकारों के लिए लगातार जागरुकता लाने का प्रयास कभी शिविर लगाकर कभी स्वास्थ कैम्प द्वारा कभी विशेष दिवस पर उत्कृष्ठ कार्य किए जनों का सम्मान कर वृक्षारोपण कार्यक्रम कर लोगों के अधिकारों की जानकारी देने प्रचार प्रसार कर गतिविधि प्रदर्शन करने राष्ट्रीय मानवाधिकार आपराध नियंत्रण ब्यूरों के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जतिंदरपाल सिंह को मानवाधिकार जागरुकता एवं सोशल गतिविधि के लिए वर्ल्ड बुक रिकार्ड मे नाम शामिल करते सम्मान दिया गया । इस सम्मान के लिए डॉ. सिंह ने वर्ल्ड बुक रिकार्ड के सम्मान देने के लिए धन्यवाद किया और कहें कि इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरों का साथ मे अपने छत्तीसगढ़ टीम का भी धन्यवाद करता हू जिनके कारण आज यह सम्मान प्राप्त हुआ । आगे भी हम हमेशा इस क्षेत्र मे बेहतर कार्य प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है शासन प्रशासन भी मानवाधिकार क्षेत्र मे बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु अपना सहयोग देते रहेंगे ।

Date 19.02.2024

On the orders of AP General Secretary Tirupatia, Chittoor District President Lokesh Kumar visited Palamaneru ZP Girls High School. On this occasion lunch was inspected. After discussing with the students whether lunch is served according to the menu or not, they said that the midday meal is served according to the menu and similarly there are no problems in their school. Afterwards, the rice, dal, salt, chicken eggs and chickies for the afternoon meal were examined. H.M. said that he will always strive to provide quality food to the students. Lata said. Similarly, on Monday and Wednesday, the students brought to their attention that it would be better to have lentil greens removed from the vegetable rice and vegetable palau. In this regard, we have also prepared a report to the Chairman of the Food Commission and requested him to change the menu given on Monday and Wednesday. Later H.M. Garu mid-day meal records like testing register, rice register, eggs and cheekes register show that they are very well maintained and congratulated their team of teachers. After that students were made aware about the rights of children. Chittoor District Vice President Madesh, Chittoor District Women Wing President Manjula and Palamaneru Constituency President Sivashankar participated in this program.

Date 19.02.2024

आरटीआई के तहत सूचना न देने पर कार्रवाई

जाति प्रमाण-पत्र की जानकारी नहीं देने वाले अफसर पर जुर्माना

भोपाल @ पत्रिका. सरकारी नौकरी में दिए जाति प्रमाण-पत्र की जानकारी आरटीआई में देने से इनकार नहीं कर सकते। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक मामले की सुनवाई में ये निर्देश दिए। वे बोले- जिस आधार पर कर्मी को नौकरी मिली।

पदोन्नति मिल रही, उसे कैसे आरटीआई से बाहर रख सकते हैं। सूचना आयुक्त ने सूचना न देने वाले सहाकारिता उपायुक्त पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया। राशि आवेदक को दी जाएगी।

जबलपुर का मामला

जबलपुर के सहकारिता विभाग में ममता धनारिया ने एक अन्य सहयोगी हेमलता हेडाऊ की जानकारी आरटीआई से मांगी। हेमलता ने जबलपुर कोर्ट के निर्णय के आधार पर जानकारी को व्यक्तिगत बताया था।

Date 21.02.2024

On 21/02/2024, Principal Sir JK Sahu Pradhan Sir, Patel Sir, Verma Sir were present and organized awareness program at Government Higher Secondary School Parsapali under the guidance of Honorable Provincial President Dr. Jatinder Pal Singh, National Human Rights Crime Control Bureau Team Sarangarh Bilaigarh Team and organized the awareness program

Date 21.02.2024

In Ayodhya Dham, the guests from other states were arranged separate camps were arranged. Their in charge were honoured by giving the calendar of the bureau. District President Vishnu Avatar Kashyap By District Patron Mahendra Kashyap

Date 24.02.2024

National Human Rights & Crime Control Bureau organized Nyota Bhoj under Prime Minister Nutrition Shakti Building Scheme at Government Ex Secondary School, Primary School Gare (Tamnar). Food of banana, grapes, jalebi, big and rice, lentils, vegetables were distributed to children.

Date 25.02.2024

. 2080 12 राज्य | 61 संस्करण

प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों में फर्जीवाड़ा...

मरीज से पैसे वसूलकर भी आयुष्मान में बिल लगाया; 76 अस्पतालों पर जुर्माना

दीपक विश्वकर्मा | भोपाल

प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई निजी अस्पताल इलाज के बाद मरीजों से पैसे वसूलने के बावजूद उनका बिल आयुष्मान भारत योजना के तहत लगा रहे हैं। बाहर से कराई गई जांचें भी इसमें जोड़ी जा रही हैं। बिना डाइग्नोज रिपोर्ट के बिल लगाने वाले करीब 76 अस्पतालों पर पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत 36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, जिन 373 लोगों ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अतिरिक्त पैसा वसूलने की शिकायत की थी, उन्हें भी 1.86 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है। -शेष पेज 14 पर

मरीजों ने शिकायत की तो अस्पतालों को पैसे लौटाने पड़े

केस-1 रजनी विश्वकर्मा ने सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराया। अस्पताल ने 34,569 रुपए का बिल थमाया। शिकायत के बाद अस्पताल पर 1.72 लाख का जुर्माना लगा। रजनी को 35 हजार रु. मिले।

केस-2 मनोज यादव ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल में इलाज कराया। उन्हें 3,430 रुपए का बिल अतिरिक्त थमाया गया। शिकायत सही मिली। अस्पताल पर 17 हजार रुपए जुर्माना लगा। मनोज को 3500 रुपए लौटाए गए।

• अगर कोई अस्पताल गलत क्लेम करता है तो इसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं।'
-अदिति गर्ग, सीईओ, आयुष्मान भारत योजना

• आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे वसूले तो 18002332085 टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें।

Date 27.02.2024

आरटीआई सूचना नहीं दी, कलेक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी पर₹ 5 हजार का जुर्माना

सूचना आयुक्त का आदेश- सेवा रिकॉर्ड पर भी लगाएं रिमार्क

भास्कर न्यूज | टपूकड़ा

आरटीआई मामले में कोई जवाब नहीं देने पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने अलवर कलेक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी पर 5 हजार रुपए की शास्ति लगाया है। साथ ही विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण में पीड़ित दिल्ली पुलिस के एएसआई बनवारी लाल निवासी मीठीयावास ने बताया कि उसका टपूकड़ा के खसरा नंबर 187 में एक आवासीय प्लाट है। इसके पास अशोक कुमार,भजन लाल/मातादीन निवासी बुरहेड़ा का भी प्लाट है। जिसने उक्त प्लाट दो तरफ रास्ता बताकर हंसराज पटवारी को बेच दिया। इसे लेकर उनका विवाद चल रहा है। मामले में उन्होंने थाना व अधिकारियों को शिकायतें की, लेकिन न्याय नहीं मिलने पर 30 दिसंबर 2021 को अलवर जिला कलेक्टर को शिकायत दी। जिला कलेक्टर ने कोटकासिम एसडीएम से जांच कराई। इसी जांच की रिपोर्ट के दस्तावेज लेने के लिए उसने 30 मई 2022 को आरटीआई लगाई। जिसका लोक सूचना अधिकारी ने पहली व दूसरी अपील तथा राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद जवाब नहीं दिया। इस पर पीडित ने राज्य सूचना आयोग में अवमानना परिवाद पेश किया था। इस प्रकरण में आयोग ने अलवर जिला कलेक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इसका अंकन सेवा अभिलेख में करने के आदेश दिए हैं।

Date 29.02.2024

12th standard students were honored by giving certificate and pen by the officials of National Human Rights and Crime Control Bureau in the farewell honour ceremony.